

द्वारा ई-गेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—।

संख्या:पौच-470(वरिष्ठता-पदोन्नति) / 2015 दिनांक:अप्रैल 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) द्वारा नियमावली-2015 में निश्चित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल-06 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का घयन परिणाम मुहर बन्द लिफाके से रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्या:पौच-470(वरिष्ठता-शील्डकवर) / 2015 दिनांक 05-03-2016 द्वारा उ0प्र० पुलिस की वैबसाइट पर किया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 के खण्ड-7(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के छज्जस्तराप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाकों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (घयन समिति) द्वारा की गयी सत्तुति के कियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड (घयन समिति) द्वारा की गयी सत्तुति में निम्नलिखित उपनिरीक्षक नामप० को निरीक्षक नामप० के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके बर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संताप कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क०स०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद	दरवाजा पार्श्व
1	2	3	4	5	6	7
1	775	782540435	अमर सिंह	टीकाराम	मुरादाबाद	2014

3— पदोन्नति पाये उक्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधिकार्नों के अनुसार सक्षम प्राविधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। राफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। इनके आगामी नियुक्ति / स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र० लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उक्त उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में रवहस्ताक्षरित धोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश सख्त। 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिरिक्षितियों उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों :—

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण वी कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अनियोजन वी कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो उक्त उपनिरीक्षक नाम्प्र० को निरीक्षक नाम्प० के पद पर कार्यभर ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पारी जाती हैं तो उक्त उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— यदि उक्त उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उक्त उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को जानका कराया जायेगा।

7— आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक—प्रारूप (क)

४४
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्वाधीन
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जौन, बरेली।
- 2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत्र, मुरादाबाद।
- 3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।

संख्या तथा दिनांक बही।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ० प्र० लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, स्वाधीन उ०प्र० लखनऊ।
- 3— अपर सचिव, प्रोन्नति उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

प्रारूप—क

स्वघोषणा—पत्र

मेरे निवासी (जनपद/इकाई का नाम)	(नाम/पदनाम आगा जनपद)	य जनपद	पीएनओ वर्तमान में	पुंज
--------------------------------------	----------------------------	-----------	-------------------------	------

नियुक्त हूं तथा घोषित करता हूं कि—

- (क) मेरे विरुद्ध उ0प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मात्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही पर्याप्त में निर्वाचित हूं।”
- (ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 राजेष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र० राज्य व अन्य तथा सगां प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मात्र न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय दिया जायगा, वह मुझ स्वीकार होगा।

2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध रक्षाप्रिय यित्रिक्यारक्ष के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में किना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसमें मैं द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है तथा कोई आपराधिक अभियोग मात्र न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निर्वाचित है तो उसका पूर्ण विवरण द्वारा कुछ नीचे अकिञ्चित किया जायेगा—

- (1) वर्तमान में निर्वाचित है तो उसका निलम्बन अदेश/दिनांक तथा कारण —————
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ————— में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक:———— को आरोप—पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0301सं0———— द्वारा———— आगा———— जनपद———— में लम्बित है, जिसमें दिनांक———— को असामीय पुलिस 38का जैसा एजेन्सी———— द्वारा आरोप—पत्र मात्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा उसीमें वर्तमान में———— सार पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुद्रा

नोट:—स्वघोषणा—पत्र में अधिकारी जो प्रत्यारुप अथवा उपस्थित लागू न हो तरी रपाए रूप से काट (X) दिया जाय।

